उत्तर पदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
संख्या : 3/बी-2-3361/दस-2014-244/2014
लखनऊ : दिनॉक : 28 नवम्बर,2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनॉक 26 नवम्बर,2014 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 2014) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियॉ जारी करने विषयक कार्यालय -ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनॉक 22 जुलाई 2014 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक मॉग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने के संबध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें-

(क) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति से संबधित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी न की जायें । जिन कार्यों / योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुदान के माध्यम से कराई गई है , उनका महालेखाकार(लेखा एंव हकदारी) प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद के लेंखो में पुस्तांकन, सबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्यित किया जायें। इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले आदेश में उस शासनादेश की संख्या व दिनांक का भी उल्लेख किया जाय,जिसके द्वारा उत्त्र प्रदेश आकस्मिकता निधि से धनराशि रूवीकृत की गई हैं ।

(ख) <u>वित्तीय वर्ष 2014-2015 की शेष अवधि मे व्यय / वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जायं तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियो को पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों में जमा न किया जायें ।</u>

डिपाजिट कार्यो के लिए प्राप्त धनराशियॉ सम्बन्धित राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष 8782 में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95 दिनॉक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशो के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि स्वीकृत कर डी.आर.डी.ए. के डिपाजिट खाता में पूर्ववत् स्थानान्तरित करके योजना के दिशा – निर्देशो के अनुसार व्यय की जायेगी ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) केन्द्र पोषित योजनाओं (केन्द्रांश तथा राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृतियॉ तभी जारी की जाय, जब सम्बन्धित योजना की धनराशि (केन्द्रांश), राज्य के खाते में जमा होने की पुष्टि वित्त विभाग के वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करा ली जाय ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा –निर्देशो के सम्बन्ध में उपरिउल्लखित शासनादेश दिनॉक 22 जुलाई 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

संख्या: बी-2-3361(1) /दस-2014-244/2014,तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6 निदेशक, कोषागार, उत्त्र प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ ।
7 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8 समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ वित्त् एवं लेखाधिकारी, उ, प्र,।
10 वित्त विभाग के समस्त व्यय- नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द(राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
13 गार्ड फायल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार(बजट) एवं
विशेष सचिव, वित्त ।

http://bhasanadesh.up.nic.in